



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

18, संस्थागत क्षेत्र,

शहीद जीत सिंह मार्ग

नई दिल्ली- 110 016

टेलीफोन : 26855532, 26858570 फ़ैक्स : 26514179

फा. 11029-12/2009-केविसं (प्रशा-1)/खंड-3


दिनांक : 19-09-2011

### कार्यालय आदेश

सिविल क्षेत्र के अंतर्गत राजनंदगाँव, जिला राजनंदगाँव (छत्तीसगढ़) में एक नए केन्द्रीय विद्यालय को तुरंत प्रभाव से खोलने की माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुमोदन की जानकारी एतद्वारा प्रदान की जाती है। इसके लिए गैर-कार्यरत केन्द्रीय विद्यालय बीजापुर, जिला बीजापुर छत्तीसगढ़) की संस्वीकृति का उपयोग किया गया है।

यह विद्यालय शैक्षिक वर्ष 2011-12 में कक्षा-1 से 5 (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) तक प्रारंभ किया जाएगा और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के आधार पर वर्ष दर वर्ष कक्षाएँ बढ़ायी जाएगी।

(हिन्दी अनुवाद में यदि कोई विवेचना अनुभव हो तो अंग्रेज़ों पाठ मान्य होगा।)



(डॉ० ई० प्रभाकर)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण :-

1. अध्यक्ष, केविसं, नई दिल्ली के निजी सचिव।
2. संयुक्त अध्यक्ष केविसं के निजी सचिव।
3. डिप्टी चेयरमैन, केविसं नई दिल्ली के निजी सचिव।
4. उपाध्यक्ष, केविसं नई दिल्ली के निजी सचिव।
5. उप सचिव (यूटी) मा० सं० वि० मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. सचिव, के० मा० शि० बोर्ड, प्रीत बिहार, दिल्ली।
7. कलेक्टर, जिला राजनंदगाँव को इस अनुरोध के साथ कि नए केन्द्रीय विद्यालय को खोलने के लिए की गई प्रतिबद्धता के अनुसार वांछित अवसंरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
8. कलेक्टर, जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़) को सूचनार्थ।
9. आयुक्त, केविसं नई दिल्ली के निजी सचिव / कार्यकारी सहायक
10. अपर आयुक्त (प्रशा०/शैक्षिक), केविसं नई दिल्ली के निजी सचिव
11. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) केविसं (मु०) को इस अनुरोध के साथ कि आवश्यक स्टाफ संस्वीकृति आदेश और प्रवेश मार्गदर्शिका जारी करने का कष्ट करें।
12. संयुक्त आयुक्त (प्रशा०) को इस अनुरोध के साथ कि विद्यालय के यथाशीघ्र कार्य करने के लिए नियमानुसार अपेक्षित स्टाफ की तैनाती करने का कष्ट करें।
13. संयुक्त आयुक्त (वित्त) को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
14. विशेष कार्यधिकारी (रक्षा) केविसं (मु०) नई दिल्ली।
15. अधीक्षण अभियंता, केविसं (मु०) नई दिल्ली।
16. उपायुक्त, केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर को इन अनुरोध के साथ कि तुरंत प्रभाव से विद्यालय को चालू करवाने के लिए अनुदेश जारी करें और इसकी जानकारी मुख्यालय को दे।
17. उपायुक्त, समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचनार्थ।
18. निदेशक, जैड आई०ई०टी ग्वालियर/मैसूर/मुंबई/चंडीगढ़
19. समस्त अधिकारी/अनुभाग केविसं (मु०) नई दिल्ली।
20. सहायक आयुक्त (ईडीपी) को इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

18, संस्थागत क्षेत्र,

शहीद जीत सिंह मार्ग

नई दिल्ली- 110 016

टेलीफोन : 26855532, 26858570 फ़ैक्स : 26514179

फा. 11029-12 / 2009-केविसं (प्रशा-1) / खंड-3

दिनांक : 19-09-2011


### कार्यालय आदेश

सिविल क्षेत्र के अंतर्गत महाराजगंज, जिला सिवान (बिहार) में एक नया केन्द्रीय विद्यालय तुरंत प्रभाव से खोलने की माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुमोदन की जानकारी एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह विद्यालय शैक्षिक वर्ष 2011-12 में कक्षा-1 से 5 (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) तक चलाया जाएगा और वर्ष दर वर्ष कक्षाएँ अवसंरचनात्मक सुविधाओं के आधार पर बढ़ायी जाएगी।

आवश्यक स्टाफ संस्वीकृति आदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

(हिन्दी अनुवाद में यदि कोई विवेचना अनुभव हो तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।)

  
(डॉ० ई० प्रभाकर)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण :-

1. अध्यक्ष, केविसं, नई दिल्ली के निजी सचिव।
2. संयुक्त अध्यक्ष केविसं के निजी सचिव।
3. डिप्टी चेयरमैन, केविसं नई दिल्ली के निजी सचिव।
4. उपाध्यक्ष, केविसं नई दिल्ली के निजी सचिव।
5. उप सचिव (यूटी) मा० सं० वि० मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. सचिव, के० मा० शि० बोर्ड, प्रीत बिहार, दिल्ली।
7. कलेक्टर, जिला महाराजगंज को इस अनुरोध के साथ कि नए केन्द्रीय विद्यालय को खोलने के लिए की गई प्रतिबद्धता के अनुसार वांछित अवसंरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
8. आयुक्त, केविसं नई दिल्ली के निजी सचिव / कार्यकारी सहायक
9. अपर आयुक्त (प्रशा०/शैक्षिक), केविसं नई दिल्ली के निजी सचिव
10. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) केविसं (मु०) को इस अनुरोध के साथ कि आवश्यक स्टाफ संस्वीकृति आदेश और प्रवेश मार्गदर्शिका जारी करने का कष्ट करें।
11. संयुक्त आयुक्त (प्रशा०) को इस अनुरोध के साथ कि विद्यालय के यथाशीघ्र कार्य करने के लिए नियमानुसार अपेक्षित स्टाफ की तैनाती करने का कष्ट करें।
12. संयुक्त आयुक्त (वित्त) को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
13. विशेष कार्यधिकारी (रक्षा) केविसं (मु०) नई दिल्ली।
14. अधीक्षण अभियंता, केविसं (मु०) नई दिल्ली।
15. उपायुक्त, केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय पटना को इन अनुरोध के साथ कि तुरंत प्रभाव से विद्यालय को चालू करवाने के लिए अनुदेश जारी करें और इसकी जानकारी मुख्यालय को दे।
16. उपायुक्त, समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचनार्थ।
17. निदेशक, जैड आई०ई०टी ग्वालियर/मैसूर/मुंबई/चंडीगढ़
18. समस्त अधिकारी/अनुभाग केविसं (मु०) नई दिल्ली।
19. सहायक आयुक्त (ईडीपी) को इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

18, संस्थागत क्षेत्र,

शहीद जीत सिंह मार्ग

नई दिल्ली- 110 016

टेलीफोन : 26855532, 26858570 फैक्स : 26514179


फा. 11029-12 / 2009-केविसं (प्रशा-1) / खंड-3

दिनांक : 19-09-2011

### कार्यालय आदेश

सिविल क्षेत्र के अंतर्गत बीजापुर, जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़) के गैर प्रकार्यात्मक केन्द्रीय विद्यालय को तुरंत प्रभाव से बंद करने की माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुमोदन की जानकारी एतद्वारा प्रदान की जाती है।

(हिन्दी अनुवाद में यदि कोई विवेचना अनुभव हो तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा। )



(डॉ० ई० प्रभाकर)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण :-

1. अध्यक्ष, केविसं, नई दिल्ली के निजी सचिव ।
2. संयुक्त अध्यक्ष केविसं के निजी सचिव ।
3. डिप्टी चैयरमैन, केविसं नई दिल्ली के निजी सचिव ।
4. उपाध्यक्ष, केविसं नई दिल्ली के निजी सचिव ।
5. उप सचिव (यूटी) मा० सं० वि० मंत्रालय, नई दिल्ली ।
6. सचिव, के० मा० शि० बोर्ड, प्रीत बिहार, दिल्ली ।
7. कलेक्टर, जिला बीजापुर को सूचनार्थ ।
8. आयुक्त, केविसं नई दिल्ली के निजी सचिव / कार्यकारी सहायक
9. अपर आयुक्त (प्रशा०/शैक्षिक), केविसं नई दिल्ली के निजी सचिव
10. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) केविसं (मु०) को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. संयुक्त आयुक्त (प्रशा०) को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संयुक्त आयुक्त (वित्त) को सूचनार्थ ।
13. विशेष कार्यधिकारी (रक्षा) केविसं (मु०) नई दिल्ली ।
14. अधीक्षण अभियंता, केविसं (मु०) नई दिल्ली ।
15. उपायुक्त, केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर को सूचनार्थ ।
16. उपायुक्त, समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचनार्थ ।
17. निदेशक, जैड आई०ई०टी ग्वालियर/मैसूर/मुंबई/चंडीगढ़
18. समस्त अधिकारी/अनुभाग केविसं (मु०) नई दिल्ली ।
19. सहायक आयुक्त (ईडीपी) को इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।